न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
363/2024

तारीख दायर
16/10/2024

तारीख फैसला
08/04/2025

– उनवान –

लोसगढ लैण्ड डवलपर्स प्रा0 लि0 जरिये निदेशक रेणुसिंह पत्नि भगतसिंह जाति जाट निवासी 38 शर्मा कॉलोनी बाईस गोदाम वार्ड नं0 16 जयपुर राजस्थान।

बनाम

प्रार्थी

अजयपाल पुत्र भगवानसहाय
कजोड पुत्र रामू
केशन्ता पुत्री बोदू
कृष्णा पुत्री बोदू
गंगादेवी पत्नि भगवानसहाय
गंगादेवी पत्नि रामपाल
गोपीराम पुत्र रामू
छम्मा पुत्री बोदू
बद्रीनारायण पुत्र घासीराम
10 बरजी देवी पुत्री रामू
11 महेन्द्र पुत्र बोदू
12 मोहनलाल पुत्र रामपाल
13 रामधन पुत्र घासीराम
14 सुमित्रा पुत्री बोदू
15 सुरज्ञान पुत्र रामपाल
16 सुवालाल पुत्र रामपाल
17 साधुराम पुत्र रामू
18 हीरालाल पुत्र घासीराम

समस्त आयु वयस्क समस्त जाति गुर्जर समस्त निवासीयान गुजरो। का बास बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।

19 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री रमाशंकर शर्मा – वकील प्रार्थी।
श्री सत्यपाल गुर्जर – 1,2,6,7,9,12,13,15,16,17,18

प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णय :–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री रमाशंकर शर्मा के प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी काश्त की भूमि ग्राम बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण में खसरा नम्बर 20 रकबा 1.0100है0 स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है जिस पर प्रार्थी साधिकार काविज होकर काश्त करते चले आ रहा है। उक्त वर्णित भूमि आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 22 रकबा 2.5000है0, खसरा नम्बर 21 रकबा 1.0100है0 ग्राम बासना से होते हुये प्रार्थी के खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 20 स्थित बासना तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण में दक्षिण से उत्तर की ओर कदीमी से आते जाते रहे है। जो राजस्व रिकार्ड नक्शें में अंकित है। जिसका उपयोग उपभोग भी प्रार्थी करने को स्वतन्त्र है। उक्त आम रास्ते से उपर वर्णित खसरा नम्बर 22, 21 में से होकर कदीमी रास्ता प्रार्थी के कृषि भूमि में जाता है। जिसको प्रार्थी लम्बे अर्से से उपयोग उपभोग करते आ रहा है। उक्त रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न राजस्व नक्शें में हरी लाईन द्वारा स्पष्टता दर्शित किया गया है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण प्रार्थी के आवागमन के एकमात्र रास्ते पर जबरन पुख्ता निर्माण कर बन्द करने पर आमादा हो गये जिसके संबंध में प्रार्थी ने सक्षम अधिकारीयों को सूचित किया। उक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 22, 21 में से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रार्थी की ग्राम बासना मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 20 में आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शें में हरे रंग से दर्शित रास्ते के अनुसार राजस्व नक्शें में 30 फीट का गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधि0 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर जरिये रजिस्टर्ड डाकर से तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 9 दिनांक 14.02.25 को स्वयं उपस्थित तथा दिनांक 18.02.25 को अप्रार्थी सं0 1,2,6,7,9,12,13,15,16,17,18 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। शेष अप्रार्थी सं0 3,4,5,8,10,11,14 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही है। अतः दिनांक 07.04.25 को अप्रार्थी सं0 3,4,5,8,10,11,14 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही लाई गई।

वकील अप्रार्थी सं0 1,2,6,7,9,12,13,15,16,17,18 ने दिनांक 07.04.25 को काउन्टर प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता अन्तर्गत धारा 251क राज0 काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बासना में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 20 आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 21 मे से होकर प्रार्थी ने अपने लिए रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है लेकिन प्रार्थी खसरा नम्बर 20 के उत्तर दिशा में लगवा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 19 की कृषि भूमि स्थित है। जिसमें भी आवागमन का रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। जो कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष से कायम रास्ते को प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 20 के पूर्व सीमा में होकर रास्ता कायम करना अपेक्षित है। जिसके लिए काउन्टर प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। ताकि प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम निर्णय होकर अप्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नम्बर 19 में आवाजाही हेतु रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम हो सकें। प्रार्थी के खसरा नम्बर 20 रकबा 1.0100है0 भूमि के अन्तर्गत पूर्व सीमा के लगवा उत्तर से दक्षिण होकर आवागमन का रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 19 के सीमाजोड तक 30 फीट चौडाई अनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड मे गै0मु0 रास्ता दर्ज होने पर रास्ते के संबंध में आवागमन के विवाद का निस्तारण हो सकता है। उक्त रास्ते से होकर ही अप्रार्थीगण अपने खातेदारी एवं काश्तकारी भूमि मे आते जाते हुए अपनी उक्त वर्णितानुसार कृषि उपयोग उपभोग हेतु निर्विवाद आवागमन कर सकते है। जिसके अलावा अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मे आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक व नजदीक रास्ता नही है। अतः तहसीलदार से रास्ते का प्रस्ताव लेकर हस्तगत हेतु प्रार्थी सं0 1 के खातेदारी खसरा नम्बर 20 की भूमि में पश्चिमी सीमा पर होकर 30 फिट चौडाई अनुसार उत्तर दक्षिण गै0मु0आम रास्ता कायम करते हुए गै0मु0रास्ते को जमाबन्दी खतौनी व राजस्व नक्शें में राज्य सरकार के अमल दरामद इन्द्राज करने के आदेश दिया जावें।

अप्रार्थी सं0 19 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एलआर/25/210 दिनांक 17.01.25 द्वारा रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बासना में खसरा नम्बर 20 रकबा 1.01है0 लोहागढ लैण्ड डवलपर्स प्रा0लि0 जरिये निदेशक रेणुसिंह पत्नि भगतसिंह जाट नि0 38 शर्मा कॉलोनी 22 गोदाम वार्ड नं0 16 जयपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 20 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 22 रकबा 2.50है0 किस्म बंजड सिवायचक व खसरा नम्बर 21 रकबा 1.01है0 किस्म बा0 3 में से रास्ता चाह रहा है। खसरा नम्बर 22 रकबा 2.50है0 किस्म बंजड सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 21 रकबा 1.01है0 अप्रार्थीगण 1 ता 12 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि बैक रहन दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नही है। संलग्न नजरी नक्शें व रिपोर्ट प्रस्तावित लम्बाई चौडाई व रकबा अनुसार रास्ता चाहा गया है जो प्रस्तावित है।

वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुऐ निवेदन किया किं प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बासना में स्थित खसरा नम्बर 20 मे आने जाने के लिये संलग्न नजरी नक्शें में हरे रंग से दर्शित रास्ते के अनुसार राजस्व नक्शें में 30 फीट चौडा गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने के आदेश प्रदान करें।

वकील अप्रार्थी सं0 1,2,6,7,9,12,13,15,16,17,18 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 19 मे आने जाने हेतु प्रार्थी की खसरा नम्बर 20 में से पश्चिमी सीमा पर होकर 30 फिट चौडाई का रास्ता दिया जावें।

अतः बहस वकील उभय पक्षों की सुनने व मनन करने एवं पैरोकार सरकार का जवाब तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दोनों को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बासना, पटवार हल्का बासना, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 20 रकबा 1.01है0 मे आवागमन हेतु खसरा नम्बर 22 व 21 के पश्चिम से पूर्व की ओर संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित हरे रंग एवं अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 19 में आवागमन हेतु प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 20 की पश्चिमी सीमा पर होते हुए रास्ता 30 फीट चौडाई अनुसार उत्तर दक्षिण रास्ते के रूप में भूमि को गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक विला लगानी) के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर अमल करे एवं उक्तानुसार राजस्व नक्शें में तरमीम करे तथा खसरा नम्बर 22 में से रास्ते के काम आने भूमि की डी0एल0सी0 राशि की दोगुनी राशि प्रार्थी राजकोष में जमा करावें एवं खसरा नम्बर 21 में से रास्ते के काम आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 राशि की दोगुना राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणों को दी जावें तथा खसरा नम्बर 20 में से रास्ते के काम आने वाली भूमि की डी0एल0सी0 राशि की दोगुना अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थी को दी जावें। नक्शा दुरूस्त कर उक्तानुसार रास्ता कायम करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर